सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 02, बुधवार, शाके 1943-मार्च 23, 2022
Chaitra 02, Wednesday , Saka 1943- March 23, 2022

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

पंचायती राज

अधिसूचना

जयपुर , मार्च 22, 2022

संख्या एफ139(89)भूआ/अलवर/विधि/पंरा/2020/280 -:ग्राम पंचायत जिलौता, रून्ध, कमालपुर एवं फकरूदीनका के राजस्व ग्राम क्रमश :जिलौता, रून्ध, कमालपुर एवं फकरूदीनका में पंचायत कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम , 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98-के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-9(3) में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, अलवर को ग्राम पंचायत जिलौता(पंचायत समिति, किशनगढबास), रून्ध(पंचायत समिति, मुण्डावर), कमालपुर एवं फकरूदीनका(पंचायत समिति, तिजारा) के पंचायत कार्यालय का स्थान परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने ,एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण कर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात् अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जिला कलक्टर , अलवर द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात् प्राप्त अनुशंषा के अनुसार ग्राम पंचायत जिलौता, रून्ध, कमालपुर एवं फकरूदीनका के कार्यालय भवन निर्माण हेतु मुख्यालय के अन्यत्र राजस्व ग्राम क्रमश : बाझोठ, कुशालवास, धिरियाबास एवं पथरेडी में पंचायत कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
पी0सी 0किशन,
शासन सचिव।

6544

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।